भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3145
दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

कम क्षमता वाले बिजली ट्रांसफार्मर पर लोड

3145. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर बिहार में, कम क्षमता (लो वाट/लो केवीए) वाले बिजली ट्रांसफॉर्मरों पर उपभोक्ताओं की अधिक संख्या के कारण लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश ट्रांसफॉर्मर बार-बार खराब अथवा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके प्रमुख तकनीकी कारण क्या हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति से संबंधित इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान तथा विद्युत ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण, वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है जो अपने संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कार्य करता हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत का वितरण एक लाइसेंसी गतिविधि है और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक दक्ष और सुरक्षित वितरण प्रणाली विकसित करे और उसका अनुरक्षण करे। इसलिए, विद्युत कटौती से बचने और उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए वितरण प्रणाली के संवर्धन और रखरखाव के लिए आवश्यक उपाय करने की जिम्मेदारी बिहार (एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल) सहित देश में संबंधित वितरण यूटिलिटी की है।

वितरण ट्रांसफार्मर का लोडिंग तब बढ़ता है जब एक ही ट्रांसफार्मर से जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाती है या मौजूदा उपभोक्ताओं का लोड बढ़ जाता है। वितरण यूटिलिटी द्वारा अपने नेटवर्क का प्रबंधन करते समय इसकी निगरानी की जाती है।

भारत सरकार ने राज्यों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने में सहायता करने के लिए पहले वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता की है।

आरडीएसएस के अंतर्गत वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना के कार्यों जैसे उपकेंद्रों का उन्नयन/संवर्धन और वितरण ट्रांसफार्मर कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नई एचटी/एलटी लाइनें, फीडर विभाजन, फीडर पृथक्करण, एरियल बंच्ड केबलिंग (एबीसी)/कवर कंडक्टर भूमिगत केबलिंग और वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर स्मार्ट मीटरिंग के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर बिहार राज्य में 8,676.9 करोड़ रुपये के कार्य सहित 62,922.15 करोड़ रुपये के कार्य किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आरडीएसएस के अंतर्गत हानि कम करने वाली अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए क्रमशः 1.53 लाख करोड़ रुपये और 1.31 लाख करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें बिहार राज्य के लिए हानि कम करने वाली अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग के लिए संस्वीकृत किए गए क्रमशः ₹9,685.79 करोड़ और ₹2,021.22 करोड़ के काम शामिल हैं।
